न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई०ए०एस

प्रकरण संख्या **06/2014** अपील (राजस्व)

श्रीमती नारायणी बाई उर्फ नारू बाई पुत्री स्व. श्री उदा जी गायरी पत्नि श्री भूरा जी गायरी, निवासी ओटो का गुड़ा, हाल निवासी थूर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

1. श्रीमती सवा बाई गायरी पुत्री स्व. श्री उदा जी गायरी पत्नि श्री उदा जी गायरी, निवासी ओटो का गुड़ा, हाल निवासी हवालाखुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती नाथीबाई गायरी पुत्री स्व. श्री उदा जी गायरी पत्नि श्री लोगर जी गायरी, निवासी थूर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) मृतक के बजायः—

2/1 श्री लोगर पिता रूपा गायरी, निवासी थूर, तहसील बड़गॉव
2/2 श्री देवीलाल पिता लोगर गायरी, निवासी थूर, तहसील बड़गॉव
2/3 श्रीमती पुष्पाबाई पुत्री लोगर गायरी पत्नि श्री पुरीलाल गायरी, निवासी डांगीयो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर
2/4 श्रीमती डालीबाई पुत्री लोगर गायरी पत्नि श्री डालु गायरी, निवासी डांगीयो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर
2/5 श्रीमती जमनीबाई पुत्री श्री लोगर गायरी पत्नि श्री धनराज गायरी, निवासी राठौड़ो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर

3. श्रीमती लोगरी बाई गायरी पुत्री स्व. श्री उदा जी गायरी पत्नि श्री तुलसीराम जी गायरी, निवासी छोटा बेदला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर नामान्तरकरण संख्या 748

उपस्थित : श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कमल कृपलानी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3

निर्णय

दिनांकः—01.06.18

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरासत से खाले गये नामान्तरकरण संख्या 748 से क्षुब्ध होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम बेदला (ओटो का गुड़ा) पटवारी हल्का सापेटिया भु अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बड़गॉव की आराजी संख्या 117 मी. रकबा 14.0708 हैक्टर स्थित होकर जिसमें अपीलान्ट के पिता का 12792/140708 हिस्सा दर्ज था। अपीलान्ट के पिता के कोई पुत्र नही होकर अपीलान्ट स्वयं एवं रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 3 पुत्रियॉ ही है जो अपीलान्ट की सगी बहने हैं। अपीलान्ट के पिता उदा पिता देवा जी गायरी ने एक पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 16.07.80 को अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित किया। जिसमें स्पष्ट रूप से कथन किया कि मेरे कोई जायन्दा पुत्र नहीं हैं। मेरी चार पुत्रियॉ हैं। जिनकी मैने शादी करा दी हैं। तीन पुत्रियॉ ससुराल में रहती है एवं एक पुत्री नारायणी जिसकी शादी मैने भुरा के साथ करवायी जो मेरी सेवा चाकरी कर रही हैं। जिससे नारायणी को मेरी कुलियॉ चल अचल सम्पत्ति को वसीयत कर देता हुं। अपीलान्ट की माता व पिता दोनो की मृत्यु हो चुकी हैं। पिता श्री उदा जी की मृत्यु के पश्चात् वसीयत के आधार पर वसीयत में दर्ज समस्त सम्पत्तियों की अपीलान्ट का आधिपत्य होकर मालिक हो गई। परन्तु राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजीयात का खाता अलग होने से वसीयत में अंकित रह जाने से पटवारी हल्का सापेटिया द्वारा प्रशासन गॉवो के संघ शिविर में उक्त आराजीयात को विरासत के आधार पर खाता खोलने की प्रकिया विचाराधीन कर दी गई। जबकि उक्त आराजीयात में रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 3 का कोई हित नहीं हैं। वसीयतनामा स्वर्गीय उदाजी ने निष्पादित किया। इसलिये विरासत से खाता नहीं खोला जाकर वसीयत के आधार पर उपरोक्त आराजी का खाता अपीलान्ट के पक्ष में खोला जाना कानुनन आवश्यक हैं। नामान्तरकरण संख्या 748 जो खोला गया है जो कानुन के विपरीत होकर नल एण्ड वोईड होने से तथा प्राकृतिक न्याय के

सिद्धांत के विपरीत होने से अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है जिसे स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 748 को निरस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण मात्र अपीलान्ट के पक्ष में खोले जाने के आदेश तहसीलदार गिर्वा को प्रदान किये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। विपक्षीगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दाहराते हुए निवेदन किया कि मौजा भीलो का बेदला पटवार हल्का सापेटिया के खातेदार श्री उदा पिता देवा गायरी के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होकर मात्र उसकी चार पुत्रियॉ ही थी। जिसमें से अपीलान्ट एक नारायणी बाई एवं रेस्पोडेंट संख्या 1,2,3 क्रमशः सवाबाई, नाथीबाई एवं लोगरीबाई हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1,2,3 की शादी करा दी हैं। तीनो पुत्रियॉ ससुराल में रहती हैं। अपीलान्ट नारायणीबाई द्वारा स्वर्गीय उदा की सेवा चाकरी करने से उदा द्वारा अपनी समस्त सम्पत्ति अपीलान्ट को वसीयत कर दी गई। स्वर्गीय उदा की मृत्यु के पश्चात् उसके द्वारा वसीयत से की गई समस्त कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट नारायणीबाई के नाम दर्ज हो गई परन्तु वादग्रस्त आराजी संख्या 117मी. जिसका खाता अलग होने से वसीयत में अंकित होने से रह जाने के कारण स्वर्गीय उदा के नाम पर ही दर्ज रह जाने से उसकी मृत्यु के पश्चात् उक्त सम्पत्ति को विरासत के आधार पर अपीलान्ट मय रेस्पोडेंट के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 748 से विरासत के आधार पर सभी के नाम पर दर्ज किये जाने की स्वीकृति तहसीलदार गिर्वा द्वारा दी गई हैं। जबकि उक्त आराजी भी मात्र अपीलान्ट नारायणीबाई के हिस्से में ही रहनी चाहिये। चुंकी समस्त सम्पत्ति की अधिकारीता नारायणीबाई ही है जिस कारण से उक्त आराजी की एकमात्र तन्हा स्वामी अपीलान्ट ही हैं। अतः नामान्तरकरण संख्या

748 जो विरासत के आधार पर खोला गया है जिसे निरस्त फरमाया जाकर उक्त आराजी को अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1,2,3 द्वारा अपन दिये गये जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी स्वर्गीय उदा पिता देवा गायरी के खाते में खातेदारी अधिकारी से दर्ज थी। उक्त आराजीयात पंजीकृत वसीयत में जिसका उल्लेख नहीं है। वसीयत में इस आराजी का उल्लेख नहीं किया गया हैं। उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि के बारे में अपीलार्थी के पक्ष में कोई वसीयत नहीं की हैं। इस आराजीयात पर रेस्पोडेंटगण का विगत 25–26 वर्षो से आधिपत्य रहा हैं। कृषि भूमि में वसीयत के आधार पर अपीलार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अपितु विरासत के आधार पर उसका जो हिस्सा बनता है उतने की ही वह अधिकारी हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण विधिक प्रावधानानुसार खोला गया हैं। जिससे अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया गया। वादग्रस्त आराजीयात स्वर्गीय उदा पिता देवा गायरी की खातेदारी भूमि हैं। जिसमें 12792/140706 का हिस्सा हैं। अपीलान्ट श्रीमती नारायणीबाई के पक्ष में सम्पादित वसीयत में इस आराजीयात का उल्लेख नहीं हैं। ऐसी स्थिति में स्वर्गीय उदा जी की मृत्यु के पश्चात् इस आराजीयात में उदा जी के हिस्से में उनके सभी विधिक वारीसानो का हिस्सा बराबर बनता हैं। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1,2,3 सगी बहने होकर चारो स्वर्गीय उदा की जायन्दा पुत्रीयॉ होकर प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी हैं। इस आराजीयात में चारो बहनो का बराबर हक व हिस्सा हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 748 खोला गया है वह न्यायसंगत हैं। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजाईश नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि तहसीलदार गिर्वा द्वारा खोला गया अपीलीय नामान्तरकरण में किसी प्रकार की अवैधानिकता अनियमितता एवं क्षेत्राधिकार संबधित त्रुटी नहीं पायी जाती हैं। अतः नामान्तरकरण संख्या 748 को यथावत रखे जाने का आदेश दिया जाकर अपील अपीलान्ट खारीज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा एवं तहसीलदार बड़गॉव को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर